2018 का विधेयक संख्यांक 196

[दि पेमेन्ट ऑफ सबसिस्टेंस अलाउंस टु फार्मर्स एण्ड एग्रीकल्चरल लेबरर्स बिल, 2018 का हिन्दी रूपान्तर]

डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य

का

कृषकों और कृषि श्रमिकों को निर्वाह भत्ते का संदाय विधेयक, 2018

कृषकों और कृषि श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें निर्वाह भत्ते का संदाय करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तर और प्रारंभ।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कृषकों और कृषि श्रमिकों को निर्वाह भत्ते का संदाय अधिनियम, 2018 है।

(*2*) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

5 (*3*) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''कृषि श्रमिक'' से अभिप्रेत है, ऐसा कोई व्यक्ति जो नकदी अथवा वस्तु के रूप में मजदूरी के लिए दूसरों की भूमि पर काम करता है और जिसकी सभी स्रोतों से कुल पारिवारिक आय तीन हजार रुपए प्रतिमाह से अधिक न हो;

(ख) ''आवेदक'' से अभिप्रेत है, कृषक अथवा कृषि श्रमिक जिसने निर्वाह भत्ते के लिए आवेदन किया है;

(ग) ''समुचित सरकार'' से राज्य के मामले में उस राज्य की सरकार तथा अन्य सभी मामलों में केन्द्रीय सरकार, यथास्थिति, अभिप्रेत है;

(घ) ''परिवार'' से अभिप्रेत है, किसी परिवार के सदस्य जो रक्त, विवाह अथवा दत्तक ग्रहण के माध्यम से एक दूसरे से संबंधित हों और सामान्यतया एक साथ रह रहे हों तथा साझा खाना बनाते हों अथवा जिनका साझा राशन कार्ड हो;

(ङ) ''कृषक'' से अभिप्रेत है, ऐसा कोई व्यक्ति जो चार हैक्टेयर से अनधिक कृषि भूमि का स्वामी है और इसमें बटाइदार अथवा ऐसा व्यक्ति शामिल है जो काश्तकारी व्यवस्था के अंतर्गत दूसरों की भूमि पर खेती करता हो और जिसकी सभी स्रोतों से कुल पारिवारिक आय पांच हजार रुपए प्रतिमाह से अधिक न हो; और

(च) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

कृषकों और कृषि श्रमिकों को निर्वाह भत्ता।

3. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में निहित किसी बात के होते हुए भी, समुचित सरकार:—

(क) प्रत्येक कृषक को पांच हजार रुपए प्रतिमाह; और

(ख) प्रत्येक कृषि श्रमिक को दो हजार रुपए प्रतिमाह की दर से निर्वाह भत्ते का संदाय करेगी।

उप-मण्डल अधिकारी का नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना।

4. (*1*) समुचित सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन हिताधिकारियों की पहचान के प्रयोजनार्थ एक अधिकारी, जो उप-मण्डल अधिकारी के रैंक से नीचे का न हो, की नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्ति करेगी।

(*2*) नोडल अधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन निर्वाह भत्ते का लाभ पाने के लिए उन कृषकों और कृषि श्रमिकों से ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, आवेदन आमंत्रित करेगा, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन निर्वाह भत्ते के संदाय के लिए पात्र है और जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व दस वर्षों से कृषक या कृषि श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं;

खंड विकास अधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त करना।

5. समुचित सरकार इस अधिनियम के अधीन निर्वाह भत्ते के संदाय के लिए कृषकों और कृषि श्रमिकों से आवेदन प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ एक अधिकारी, जो खंड विकास अधिकारी के रैंक से नीचे का न हो, को अभिहित करेगी।

निर्वाह भत्ते के लिए आवेदन।

6. कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन निर्वाह भत्ते के लिए आवेदन करना चाहता है, अपने नाम के पंजीकरण के लिए, धारा 4 की उपधारा (*2*) के अधीन ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, खंड विकास अधिकारी को आवेदन करेगा।

खंड विकास अधिकारी द्वारा आवेदन एकत्र करना और इन्हें अग्रेषित करना।

7. (*1*) खंड विकास अधिकारी समस्त आवेदन पत्र एकत्र करेगा और इन्हें उप-मंडल अधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(*2*) उप-मंडल अधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे लेकिन किसी भी स्थिति में आवेदन प्राप्त होने की तारीख से अधिक से अधिक तीस दिन के भीतर या तो आवेदन स्वीकृत करेगा या अस्वीकृत करेगा:

परन्तु यह कि किसी आवेदन पर तीस दिन के भीतर कोई निर्णय न ले पाने की स्थिति में, आवेदक इस अधिनियम के अधीन निर्वाह भत्ते के संदाय के लिए पात्र माना जाएगा।

(3) उप-मण्डल अधिकारी इस अधिनियम के अधीन किसी आवेदन को अस्वीकृत करने के कारण, यदि कोई हों, लिखित में दर्ज करेगा।

(4) उप-मण्डल अधिकारी के निर्णय से व्यथित कोई भी आवेदक जिला मजिस्ट्रेट को, ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, अपील कर सकता है।

(5) अपील का निपटान करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाए:

परन्तु यह कि किसी अपील का निपटान करने से पहले, आवेदक को सुनवाई का यथोचित अवसर दिया जाएगा।

(6) उप-मण्डल अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक छह माह में एक बार हिताधिकारियों की तहसीलवार एक सूची बनाए और इसे प्रकाशित करे।

कृषि श्रमिकों या किसानों के परिवार के सदस्यों को निर्वाह भत्ते के संदाय का तरीका।

8. कृषकों और कृषि श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों को, किसी कृषक या कृषि श्रमिक की मृत्यु हो जाने की दशा में, निर्वाह भत्ते के संदाय का तरीका ऐसा होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए।

प्रत्येक राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया जाना।

9. प्रत्येक राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन की निगरानी के प्रयोजनार्थ जिला और राज्य स्तर पर एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करेगा।

कृषक और कृषि श्रमिक कल्याण निधि का गठन किया जाना।

10. (*1*) केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक निधि का गठन करेगी जिसका नाम कृषक और कृषि श्रमिक कल्याण निधि होगा।

(*2*) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें इस निधि में उस अनुपात में अंशदान करेंगी जो विहित की जाए।

(*3*) इस निधि में ऐसी अन्य राशियां भी जमा की जाएंगी जो दान, अंशदान अथवा सहायता के रूप में प्राप्त हों।

(*4*) इस निधि का उपयोग इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराया जाना।

11. केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त संसद की विधि द्वारा उचित विनियोग किए जाने के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराएगी।

शास्ति।

12. (*1*) जो कोई भी इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह दोषसिद्धि पर, जुर्माने का दायी होगा जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा।

(*2*) यदि दोषसिद्ध व्यक्ति केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का कर्मचारी है तो, उप-धारा (*1*) के अधीन उपबंधित शास्ति उसके विरुद्ध शुरू की गई विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई के अतिरिक्त होगी।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

13. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट इनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे परन्तु उपर्युक्त को छोड़कर, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए उपबंध और नियम तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में।

नियम बनाने की शक्ति।

14. (*1*) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(*2*) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि

एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उक्त सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान से पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा। किन्तु उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख क्षेत्र है। देश की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या अपनी आजीविका हेतु कृषि पर निर्भर है। हाल के समय में अत्यधिक सार्वजनिक-निजी निवेश के कारण अन्य क्षेत्रों में अत्यधिक विकास देखने में आया है। कृषि में निवेश की कमी के कारण विकास में कमी आई है तथा कृषि-उत्पादों के लागत मूल्य में वृद्धि हुई है। संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए कृषक बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं से उच्च ब्याज दर पर ऋण लेते हैं। फसलों की बर्बादी, अप्रभावी कीटनाशकों, बीजों की खराब गुणवत्ता तथा अत्यधिक ऋण के बोझ के कारण देश में किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए हैं।

विकसित कृषि क्षेत्र न केवल देश की खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है बल्कि मुद्रास्फीति तथा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए भी जरूरी है। अलाभकारी तथा ऋणग्रस्त कृषि क्षेत्र से कृषकों, कृषि श्रमिकों तथा उनके आश्रितों की मूलभूत जरूरतें भी पूरी नहीं हो सकतीं। अत: कृषकों और कृषि श्रमिकों की मूलभूत जरूरतों की ओर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

केन्द्रीय और राज्य सरकारों का यह संवैधानिक दायित्व है कि वे कृषकों की जीवन सुरक्षा सुनिश्चित करें और कृषि क्षेत्र को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएं ताकि और जानें न जाएं।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कृषकों और कृषि श्रमिकों को राज्य द्वारा सहायता दिए जाने की आवश्यकता है जिससे आर्थिक तंगी के कारण उनका जीवन-यापन और सामाजिक विकास बाधित न हो।

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली;
27 नवम्बर, 2018

उदित राज

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खंड 3 में कृषकों और कृषि श्रमिकों के लिए निर्वाह भत्ते के संदाय का उपबंध है। खंड 9 में अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु जिला और राज्य स्तर पर विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किए जाने का उपबंध है। खंड 10 में कृषक और कृषि श्रमिक कल्याण निधि की स्थापना का उपबंध है। खंड 11 में उपबंध है कि केन्द्रीय सरकार अधिनियम के प्रयोजनों को लागू करने हेतु राज्य सरकारों को पर्याप्त निधियां प्रदान करेगी। अत:, इस विधेयक के अधिनियमित होने पर भारत की संचित निधि में से व्यय होगा। इस पर प्रतिवर्ष लगभग दस हजार करोड़ रुपये का आवर्ती व्यय होने का अनुमान है।

इस पर लगभग एक सौ करोड़ रुपये का अनावर्ती व्यय होने की भी संभावना है।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खंड 14 केन्द्रीय सरकार को इस विधेयक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। चूंकि ये नियम केवल ब्योरे के मामलों से संबंधित होंगे, इसलिए विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकार का है।

लोक सभा

कृषकों और कृषि श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों को
सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें निर्वाह
भत्ते का संदाय करने तथा उससे संबंधित
या उसके आनुषंगिक विषयों का
उपबंध करने के लिए
विधेयक

(डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य)

MGIPMRND—2225LS(S3)—18-12-2018.